

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 66/2024
रजिस्ट्रेशन नं. :2024/80

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम
बांसवाड़ा (राज)

अभियुक्त :-

श्री कमलेश जैन पुत्र श्री गोबीलाल जैन निवासी
बस्सी आडा, घाटोल, बांसवाड़ा, (विक्रेता/
मालिक) मैसर्स मुकेश कुमार गोबीलाल, बस्सी
आडा, घाटोल, बांसवाड़ा (राज.)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 15-07-2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री शशिकान्त शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 05-06-2024 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 20-09-2023 को 5.00 पी.एम. बजे दौरान गस्त बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स मुकेश कुमार गोबीलाल, बस्सी आडा, घाटोल, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री कमलेश जैन पुत्र श्री गोबीलाल जैन निवासी बस्सी आडा, घाटोल, बांसवाड़ा उपस्थित थे। विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स मुकेश कुमार गोबीलाल, बस्सी आडा, घाटोल, बांसवाड़ा का निरीक्षण करने पर **Sugar Boiled Confectionary (Rolex) 440 ग्राम पैकिंग के 10 पैकेट रखे हुए थे।** जो आम जनता को खाद्य सामग्री बिक्री वास्ते होना बताया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए एक थैली से **Sugar Boiled Confectionary (Rolex) 440 ग्राम के 04 पैकेट वास्ते नमुना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 200 रु.** विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जाँच हेतु खरीदशुदा **Sugar Boiled Confectionary (Rolex) के पैकेट के चार नमुना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा का कोड क्रमांक W-1573 लिखा व नमूने का विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता तथा गवाहान के भी हस्ताक्षर करवाये गये तैयार लेबल प्रत्येक**



✓

नमूना भाग पर चिपकाया गया। प्रत्येक नमूने को नियमानुसार सील बन्द किया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/519 दिनांक 17-10-2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1241 दिनांक 10-10-2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Sugar Boiled Confectionary (Rolex)** का नमूना कोड क्रमांक **W-1573** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **Sugar Boiled Confectionary (Rolex)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 20-06-2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 15-07-2024 को अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/519 दिनांक 17-10-2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1241 दिनांक 10-10-2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Sugar Boiled Confectionary (Rolex)** का नमूना कोड क्रमांक **W-1573** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड **Sugar Boiled Confectionary (Rolex)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 51 में निर्धारित है। आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री कमलेश जैन पुत्र श्री गोबीलाल जैन निवासी बस्सी आडा, घाटोल, बांसवाडा, (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स मुकेश कुमार गोबीलाल, बस्सी आडा, घाटोल, बांसवाडा को रूपये 5000/- (अक्षरे रू पाँच हजार मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।
निर्णय आज दिनांक 15-07-2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति० जिला कलक्टर)
बांसवाडा (राज.)